



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर


क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/तक/स्था. पत्रा. पार्ट-1/2017/1456 दिनांक:-30/08/2017

-:: कार्यालय-आदेश ::-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत लोकहित में संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने आज्ञा क्रमांक प.2(44)नविवि/आरएचबी/2017 पार्ट दिनांक 10.08.17 एवं संशोधित आज्ञा दिनांक 17.08.2017 द्वारा श्री रतन चन्द्र शर्मा, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ), खण्ड-प्रथम, उदयपुर को खण्ड-पंचम, जयपुर में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया है।

उक्त आदेश की अनुपालना में श्री शर्मा को उनके नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने हेतु खण्ड-प्रथम, उदयपुर से आज दिनांक 30.08.2017 को मध्याह्न पश्चात से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(विश्व मोहन शर्मा),
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता (मु.)/1/II रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
5. प्रभारी अधिकारी-कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. उप-आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, उदयपुर/पंचम, जयपुर राआमं,
8. प्रभारी अधिकारी-गोपनीय/एसीआर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. श्री आर.सी.शर्मा, परि.अभि. (व.), खण्ड-प्रथम, राआमं, उदयपुर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक